

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

कीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

मा नम्बर:-154/2019 प्रार्थना पत्र

श्री पिता सुदर्शन मेहता, उम्र बालिग निवासी 12/13, जम्भेश्वर नगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान) -----प्रार्थी

बनाम

श्री भंवर पिता बालू जाट, उम्र बालिग निवासी पोस्ट ऑफिस के सामने, तेलियों की बाड़ी, पुर
तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्री भैरू पिता हजारी जाट, उम्र बालिग निवासी जाटों का खेड़ा पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा

श्री रतन पिता हजारी जाट, उम्र बालिग निवासी जाटों का खेड़ा पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-30.08.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3680 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रार्थी नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे कस्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 2.7.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जैसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 उपस्थित नहीं। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 30.8.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया है।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल कस्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3680 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, पुर को 500/-रुपये (पाँच सौ) कमिस्नर फीस पर कमिस्नर नियुक्त किया जाता है। कमिस्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डोबी)

आई ए एस
उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

